न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 03/2023 (GCMS/2023/35)
पंजीयन दिनांक - 06.04.2023
आदेश दिनांक - 24.04.2023

श्री उमाशंकर पिता उदयलाल दावोत, निवासी मेनार, वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/01/23 निर्णय दिनांक 13.03.2023

निर्णय

दिनांक 24.04.2023

- श्री उमाशंकर पिता उदयलाल दावोत, निवासी मेनार वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 04.04.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 06.04.2023 को प्राप्त होकर दिनांक 06.04.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अपील में तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 991 दिनांक 12.04.2023 से श्री उमाशंकर पिता उदयलाल दावोत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जवाब दिनांक 17.04.2023 को प्रेषित कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कानूनी कार्यवाही के संबंध में अनुरोध किया गया है, जो पुलिस विभाग से संबंधित है। अपीलार्थी को जिला कार्यालय के आदेश दिनांक

13.03.2023 द्वारा कानूनी कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाद हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 03 दिनांक 17.04.2023 से भिजवाते हुए अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ई-मेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

- प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अपीलार्थी प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय अपास्त कर उचित कार्यवाही कराना चाहता है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलार्थी श्री उमाशंकर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के तहत प्रेषित/प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नही हुआ था। पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवाद/प्रार्थना पत्र में कानुनी कार्यवाही करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो कि प्रकरण पुलिस विभाग से संबंधित है।

- प्रस्तुत अपील में यह न्यायालय पाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कानूनी कार्यवाही के संबंध में अनुरोध किया गया है। प्रकरण पुलिस विभाग से संबंधित है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी अपीलार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को उक्त विधिक प्रक्रिया से ससमय अवगत कराया गया और विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध

में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर